



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032024-252903  
CG-DL-E-12032024-252903

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]  
No. 170]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945  
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

सं. 15/2024-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 182(अ).—जहां कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 90 के तहत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो इसे तत्काल कार्रवाई करने के लिए आवश्यक बनाती हैं।

अतः अब, इसलिए, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा, अर्थात्: -

"उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, अध्याय 90 में, टैरिफ मदों 9022 30 00 और 9022 90 90 के समक्ष, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "15%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/15/2023-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2024

No. 15/2024-Customs

**G.S.R. 182(E).**—WHEREAS the Central Government on being satisfied that the import duty leviable on goods, falling under Chapter 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8A of the said Customs Tariff Act, the Central Government hereby directs that the First Schedule to the said Customs Tariff Act shall be amended in the following manner, namely: -

In the First Schedule to the said Customs Tariff Act, in Chapter 90, against tariff items 9022 30 00 and 9022 90 90, for the entry in column (4), the entry “15%” shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2024.

[F. No. CBIC-190354/15/2023-TRU Section-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

**सं. 16/2024-सीमा शुल्क**

**सा.का.नि. 183(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, एतद्वारा, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

क्रम संख्या 563क, कॉलम (3) में, प्रविष्टि (ii) में, मद (ड) के लिए, निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ड) उच्च आवृत्ति एक्स) रे जनरेटर-> 25KHZ) (9022 14 10);”

- (i) क्रम संख्या 563क के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“563ख	9022 14 10	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों (9022 14 20 या 9022 14 90) के निर्माण में उपयोग के लिए उच्च आवृत्ति एक्स-रे जनरेटर (>25KHz, >=500mA)	10%	-	9

563ग	9022 90 90	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के निर्माण में उपयोग के लिए निम्नलिखित सामान (9022 14 20 या 9022 14 90), अर्थात्: -  (i) लंबवत् बकी;  (ii) एक्स-रे ट्यूब निलंबन;  (iii) एक्स-रे ग्रिड;	10%	-	9
563घ	9022 29 00 या 9022 90 90	चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों (9022 14 20 या 9022 14 90) के निर्माण में उपयोग के लिए मल्टी लीफ कोलीमेटर/आइरिस	10%	-	9”;

(ii) क्रम संख्या 564, कॉलम 3) में, मद के लिए (.ड), निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ड.) उच्च आवृत्ति एक्स) रे जनरेटर-> 25KHz) (9022 14 10);”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/15/2023-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 06 मार्च, 2024, जिसे सा.का.नि.158 (अ), दिनांक 06 मार्च, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2024

#### No. 16/2024-Customs

**G.S.R. 183.(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely :-

In the said notification, in the Table, -

- (i) against S. No. 563A, in column (3), in entry (ii), for item (e), the following item shall be substituted, namely: -

“(e) High Frequency X-Ray Generator (>25KHz) (9022 14 10);”

(ii) after S. No. 563A, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“563B	9022 14 10	High Frequency X-Ray Generator (>25KHz, >=500mA) for use in manufacture of X-ray machines for medical, surgical, dental or veterinary use (9022 14 20 or 9022 14 90)	10%	-	9
563C	9022 90 90	The following goods for use in manufacture of X-ray machines for medical, surgical, dental or veterinary use (9022 14 20 or 9022 14 90), namely: - (i) Vertical Bucky; (ii) X-Ray Tube Suspension; (iii) X-Ray Grid;	10%	-	9
563D	9022 29 00 or 9022 90 90	Multi Leaf Collimator/ Iris for use in manufacture of X-ray machines for medical, surgical, dental or veterinary use (9022 14 20 or 9022 14 90)	10%	-	9”;

(iii) against S. No. 564, in column (3), for item (e), the following item shall be substituted, namely: -

“(e) High Frequency X-Ray Generator (>25KHz) (9022 14 10);”.

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2024.

[F. No. CBIC-190354/15/2023-TRU Section-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 13/2024-Customs, dated the 6<sup>th</sup> March, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 158 (E), dated the 6<sup>th</sup> March, 2024.